कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–825/ 1843 नया रायपुर, दिनांक 16/10/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
दुर्ग वृत्त, दुर्ग
छत्तीसगढ़

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Rajnandgaon" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area-13.524 ha. regarding**
पंजीयन क्रमांक –FP/CG/OFC/42358/2019 Date 05.11.2019

संदर्भः– 1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक. अधि./ 6001 दिनांक 01.09.2020
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–8/ 2020/ 10–2 दिनांक 21.09.2020

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र–1 के माध्यम राजनांदगांव वन मंडल का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत भारत नेट परियोजना का रकबा 13.524 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

चूंकि इस कार्यालय द्वारा महासमुन्द वन मंडल के भारत नेट के प्रकरण स्वीकृति हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को प्रथम चरण स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था जो संदर्भ पत्र–2 के माध्यम से आपत्ति लगाकर इस कार्यालय को वापस किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा भारत नेट की ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के अन्य प्रकरणों में आपत्ति लिया गया है। अतएव संदर्भ पत्र–2 में दर्शाये बिन्दुओं का समावेश करने हेतु प्रकरण ई.डी.एस. किया जा रहा है। उक्त अनुसार कार्यवाही कर प्रस्ताव तैयार करावें।

संलग्नः– संदर्भित पत्र –2 की छाया प्रति (एक पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 825/ 1844 रायपुर, दिनांक 16/10/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **वन मंडलाधिकारी**, राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

- 386 -Letter Vividh 2020 (1)

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / 5-8 / 2020 / 10-2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 21/09/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, सेक्टर-19
नवा रायपुर, अटल नगर ।

विषय:- आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, रायपुर द्वारा महासमुन्द जिले के महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट फेस-2 के तहत भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 5.923 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-829/1623 दिनांक 31.08.2020।

---00---

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2/- विषयांकित प्रकरण में सम्पूर्ण वनमंडलों में विभिन्न ग्राम पंचायतों को जोड़ते हुए आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु एकजाई वन भूमि की गणना कर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त वन भूमि की गणना में एक ही वन कक्ष का अनेक बार प्रविष्टि की गई है, जिससे स्पष्ट नही हो रहा है कि, उक्त वन क्षेत्र में कुल आवेदित रकबा कितना है ?

3/- उक्त प्रकरण में राज्य शासन स्तर से जारी किये जाने वाले अनुमति में आवेदित वन क्षेत्र का विवरण निम्न तालिका अनुसार दर्ज किया जाना होगा :-

क्र	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4/- अतः आदेशानुसार निवेदन है कि उपरोक्त तालिका अनुसार प्रत्येक वन कक्ष का कुल आवेदित रकबा दर्शाते हुए विवरण प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

21-9-2020
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक5-8 / 2020 / 10-2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 21 / 09 / 2020

प्रतिलिपि :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव 21-9-2020
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–829/ 1783 रायपुर, दिनांक 07/10/2020

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
छत्तीसगढ़

विषयः – वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत ओ.एफ.सी. लाईन के प्रकरण में जानकारी प्रदाय करने बाबत्

संदर्भः छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–8/ 2020/ 10–2 दिनांक 21.09.2019

※ ※ ※ ※ ※

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, अवलोकन हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न।

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा महासमुन्द वन मंडल के भारत नेट के ओ.एफ.सी लाईन के प्रकरण में संदर्भ पत्र के बिन्दु क्रमांक – 3 में दर्शाये अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जानकारी चाही गई है।

चूंकि भारत नेट के ओ.एफ.सी. लाईन के प्रकरण लगभग सभी वन मंडलों में पंजीकृत है या प्रस्ताव तैयार किया जाकर इस कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है।

भविष्य में प्रस्ताव तैयार करते समय उक्त जानकारी निर्धारित प्रपत्र अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में समावेश कर इस कार्यालय को प्रेषित करें। जो प्रस्ताव तैयार किया जाकर इस कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है उसके लिए भी संदर्भ पत्र के बिन्दु क्रमांक 3 एवं 4 अनुसार जानकारी तैयार कर इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

संलग्नः– संदर्भ पत्र की छाया प्रति 01 पृष्ठीय

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–829/ 1784 रायपुर, दिनांक 07/10/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

– **समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)**, छत्तीसगढ़ को पालनार्थ।

संलग्नः– संदर्भ पत्र की छाया प्रति 01 पृष्ठीय

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़